किरन देवी बुन्दूलाल कर्णवाल एजूकेशनल सोसायटी, अफजलगढ़ (बिजनौर)

(साधारण सभा उपर्युक्त, अफजलगढ़ बिजनौर द्वारा स्थापित)

स्मृति –पत्र

1. संस्था का नाम : **किरन देवी बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेशनल सोसासटी**
2. संस्था का पूरा पता : मौहल्ला बेगम सराय अफजलगढ़ (बिजनौर)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

(क) क्षेत्र की जनता विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए विविध प्रकार की उच्च स्तरीय शिक्षा हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना एवं प्रबन्ध करना तथा अन्य विविध लोक सेवा के कार्य करना।

(ख) अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों, एवं शिक्षा संस्थानों को सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों से सम्बद्ध कराना।

(ग) छात्रों के नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के साधन उपलब्ध कराना। सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कराना।

(घ) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से सभी कोषों का रख–रखाव करना एवं उनका प्रबन्ध करना।

(ङ) ऐसे सभी कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति–पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया –

क्र.स.	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	बुन्दूलाल कर्णवाल	स्व0 कुदन लाल कर्णवाल	मै0 बेगमसराय, अफजलगढ़	संरक्षक	व्यापार
2	श्रीमती किरन देवी	श्री बुन्दू लाल कर्णवाल	मै0 बेगमसराय, अफजलगढ़	संरक्षक	गृहणी
3	मनोज अहलुवालिया	श्री हरिओम अहलुवालिया	434 दालमंडी, सदर बाजार, मेरठ कैंट	अध्यक्ष	व्यापार
4	श्रीमती पुष्पा	श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल	ग्राम शक्तिगढ़, तहसील सितारगंज, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	उपाध्यक्ष	गृहणी
5	ब्रजेश कर्णवाल	श्री बुन्दू लाल कर्णवाल	मै0 बेगमसराय, अफजलगढ़	प्रबन्धक	व्यापार
6	श्रीमती कोशल जायसवाल	श्री प्रमोद जायसवाल	66 निकट पोस्ट ऑफिस, गाजरा, देहरादून	सहप्रबंधक	गृहणी
7	श्रीमती पखुरी	श्री छेदा लाल जायसवाल	मो0 शस्त्रौनगर, निकट मॉयल्टी सिनेमा, बीसलपुर, पीलीभीत	कोषाध्यक्ष	गृहणी
8	श्रीमती बबीता कर्णवाल	श्री अमित कर्णवाल	निकट तहसील भवन, नकुड, जनपद सहारनपुर	सहकोषाध्यक्ष	गृहणी
9	श्रीमती पूनम कर्णवाल	श्री अजय कर्णवाल	म0सं0 50, ग्रीन पार्क, सहारनपुर रोड, देहरादून	सदस्य	गृहणी
10	श्रीमती मीना जायसवाल	श्री संदीप जायसवाल	बी–177, आवास विकास, किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	सदस्य	गृहणी
11	श्रीमती सीमा जायसवाल	श्री अजय जायसवाल	ग्राम शक्तिगढ़, तहसील सितारगंज, उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	सदस्य	गृहणी

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता संस्था को स्थापित करने के पश्चात उपर्युक्त स्मृति–पत्र के अनुसार सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट नं0 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

संस्था का नाम	:	**किरन देवी बुन्दूलाल कर्णवाल एजुकेशनल सोसासटी**
2. संस्था का पूरा पता	:	मौहल्ला बेगम सराय अकबलगढ़ (बिजनौर)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उ0प्र0
4. संस्था का उद्देश्य	:	स्मृति पत्र में अंकितानुसार
5. संस्था की सदस्यता तथा	:	**संरक्षक** – भूमि–भवन दान स्वरूप देकर संस्था के प्रेरणा द्वय श्री बुन्दूलाल कर्णवाल तथा श्रीमती किरन देवी इसके ~~आजीवन~~ संरक्षक रहेंगे। उसके बाद उनका स्वतः उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति संरक्षक रहेगा। नामित न होने/कर पाने की स्थिति में उनके परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य उतने समय तक संरक्षक रहेगा जब तक कोई स्वतः उत्तराधिकारी बालिग नहीं हो जाता।
सदस्यों के वर्ग		**आजीवन सदस्य** – (अ) संस्थापक संरक्षक परिवार का बालिग स्त्री व पुरूष सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी का सदस्य रहेगा। (ब) रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार मात्र) नकद या चैक द्वारा संस्था के पास जमा करने वाला भारत का कोई भी नागरिक संस्था की कार्यकारिणी की संस्तुति पर सदस्य बनाया जा सकेगा।
6. सदस्यता की समाप्ति	:	प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी, सदस्य अथवा साधारण सभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी – 1. मृत्यु होने पर। 2. पागलपन के कारण। 3. किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर। 4. दिवालिया होने पर। 5. त्याग–पत्र देने पर। 6. संस्था विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर । 7. प्रबन्धकारिणी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. संस्था के अंग	:	संस्था के दो अंग होंगे– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा द्वारा ही प्रबन्धकारिणी समिति का विधिपूर्वक चुनाव किया जायेगा।

(अ) साधारण सभा का गठन – प्रबन्ध समिति द्वारा गठित संवीक्षा समिति द्वारा संस्तुतित प्रबन्धक द्वारा रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार) संस्था के खाते में जमा कराये गये सभा सदस्यों की प्रस्तुत की गयी सूची साधारण सभा कहलायेगी। ये सभी सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।

(ब) बैठक – साधारण सभी की बैठकें तीन प्रकार की होंगी –(1) सामान्य (2) अति आवश्यक (3) स्थगित बैठक

(स) सूचना अवधि –

1. साधारण सभा की किसी सामान्य बैठक के लिए एक सप्ताह की पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
2. चुनाव सम्बन्धी विशेष बैठक के लिए पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य होगी।
3. अति आवश्यक बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना दिया जाना अति आवश्यक होगा।
4. स्थगित बैठक के लिए 3 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य होगी।

के लिए आवश्यक होगी। इसके अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी। स्थगित बैठक पुनः बुलाये जाने पर एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस बैठक में पूर्व बिन्दु (संसूचित) कार्य बिन्दु के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. (अ) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदि –

a. समिति का वार्षिक रूप से एक अधिवेशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आयोजित किया जायेगा।

b. समिति का प्रबन्धक उसमें आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेगा।

c. समिति का चुनाव अधिवेशन त्रिवार्षिक होगा। जिसको कार्यकारिणी समिति की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

d. अधिवेशनो में साधारण सभा के सभी सदस्य एवं विशेष आमंत्रित गणमान्य नागरिक बुलाये जायेंगे।

(ब) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार –

i. अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा प्रबन्ध समिति का चुनाव करना।

ii. प्रबन्ध समिति से महाविद्यालय के विकास का लेखा–जोखा प्रस्तुत कराना।

iii. प्रबन्ध समिति से आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कराना।

iv. आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों को महाविद्यालय के हित में ही कार्य करने को बाध्य करना।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति –

(अ) गठन – प्रबन्ध समिति में कुल 13 सदस्य पदाधिकारियों सहित होंगे जिनकी स्थिति निम्नलिखित प्रकार से होगी –

संरक्षक	दो –स्वतः मान्य संस्थापक द्वारा
अध्यक्ष	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित
उपाध्यक्ष	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित
प्रबन्धक(प्रबन्धक)–	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित संस्थापक संरक्षक परिवार का सदस्य(न्यूनतम अर्हता)
सहसचिव(संयुक्त)	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित
कोषाध्यक्ष	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित
उपकोषाध्यक्ष	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित
पदेन सदस्य	– प्राचार्य
सदस्य	– पदेन अध्यापक प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के अनुसार (दो)
सदस्य	– तृतीय श्रेणी कर्मचारी प्रतिनिधि (एक)
सदस्य	– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य(तीन)

(ब) बैठकें – प्रबन्ध समिति की बैठकें तीन प्रकार की होगी –

(1) सामान्य (2) अति आवश्यक (3) स्थगित बैठक

(स) सूचना अवधि –

1. प्रबन्ध समिति की किसी सामान्य बैठक के लिए एक सप्ताह की पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
2. अतिआवश्यक बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना जाना अति आवश्यक होगा।
3. स्थगित बैठक के लिए 3 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य होगी।

(द) गणपूर्ति– प्रबन्ध समिति की बैठक में आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी। इसके अभाव में बैठक स्थगित की जायेगी। स्थगित बैठक

किरनदेवी
Pushpa Karnwal

पुनः बुलाये जाने पर एक तिहाई सदस्यों की उपस्थितिगणपूर्ति हेतु पर्याप्त समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इस बैठक में पूर्ण (संसूचित) कार्य बिन्दु के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि – प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पद में होने वाली आकस्मिक रिक्ति को अध्यक्ष या प्रबन्धकद्वारा प्रबन्ध समिति की शेष अवधि के लिए चुना जायेगा।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य/अधिकार –

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग प्रबन्ध समिति करेगी।
2. प्रबन्ध समिति को महाविद्यालय की सभी चल–अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध एवं संचालन करने का अधिकार होगा।
3. प्रबन्ध समिति महाविद्यालय की ओर से सभी प्रकार की आय, चन्दा, उपहार, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करेगी।
4. महाविद्यालय सम्बन्धित सभी आय–व्यय का समुचित लेखा–जोखा रखेगी।
5. प्रबन्ध समिति साधारण सदस्य/आजीवन सदस्य बनाने हेतु एक संवीक्षा समिति का गठन करेगी जो समिति अपनी संस्तुति प्रबन्धकको देगी। समिति की असंस्तुति की दशा में किसी प्रकार का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

(ल) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल एवं निर्वाचन –

1. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे कार्यकारिणी समिति/साधारण सभा की संस्तुति द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव की अधिसूचना एक महीने पूर्व जारी करनी होगी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में संरक्षक को यह अधिकार होगा कि वह अपने सहयोग के लिए दो शिक्षाविदों को स्वयं नामित करके उनके सहयोग से स्वयं प्रबन्ध करे तथा तीस दिन के अन्तर्गत विधिवत चुनाव कराकर प्रबन्ध समिति का गठन करा दे।
2. निर्वाचन हेतु साधारण सभा के सभी सदस्यों को सचिव द्वारा कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना जारी की जायेगी। चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त कर विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक बुलाकर चुनाव कराना सचिव का उत्तरदायित्व होगा। प्रतिबन्ध यह है कि चुनाव अधिकारी स्वयं चुनाव में किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चुनाव के अन्य नियम सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुरूप ही होंगे।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

a. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग प्रबन्ध समिति करेगी।
b. प्रबन्ध समिति की संस्था की सभी चल–अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध एवं संचालन करने का अधिकार होगा।
c. प्रबन्ध समिति संस्था की ओर से सभी प्रकार की आय, चन्दा, उपहार, ब्याज, अनुदान आदि प्राप्त करेगी।
d. महाविद्यालय सम्बन्धित सभी आय–व्यय का समुचित लेखा–जोखा रखेगी।
e. प्रबन्ध समिति आजीवन सदस्य एवं साधारण सदस्य बनाने हेतु एक संवीक्षा समिति का गठन करेगा जो अपनी सहमति या असहमति प्रबन्धकको देगी।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संस्था के हित में अपना निर्णय देना जो सभी पर बाध्यकारी होगा।
2. प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत विवाद पर निर्णय देना जो अन्तिम व सबके लिए बाध्यकारी होगा।

Pushpa Karnwal

Poonam

Amit Karnwal

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

a. प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

b. विवादास्पद विषयों पर अपना निर्णय देना।

c. मत विभाजन में किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपना निर्णायक मत प्रयोग में लाना।

d. प्रबन्धकके माध्यम से प्रबन्ध समिति अथवा साधारण सभा की बैठक बुलवाना एवं स्थगित करना।

e. विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थानों अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अनुपालन करना एवं कराना।

f. आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धकको प्रबन्ध समिति अथवा साधारण सभा की बैठक बुलाने एवं विभिन्न प्रशासनिक मामलों में कार्यवाही करने का आदेश देना।

g. संस्था की ओर से समस्त चल अचल सम्पत्तियों को प्राप्त करना एवं उनकी देखभाल करना।

उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबन्ध समिति एवं साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं उन सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे प्रदान किये गये हों।

महासचिव/प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य –

a. प्रबन्धक प्रबन्ध समिति की एवं साधारण सभा की समस्त बैठकों की कार्यवाही का संचालन करेगा एवं उनकी कार्यवाही का संचालन करेगा।

b. प्रबन्धकसंस्था के लिए हर प्रकार का दान, चन्दा, अनुदान एवं उपहार आदि प्राप्त करेगा।

c. संस्था के समस्त अभिलेखों को विधि अनुसार रखेगा।

d. संस्था के समस्त कोषों की देखभाल करेगा।

e. प्रबन्ध समिति एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार संस्था के विभिन्न मामलों की देखभाल करना।

f. विश्वविद्यालय के नियमानुसार नियुक्तियाँ करना, निलम्बित करना एवं पदच्युत करना परन्तु आवश्यक होगा कि एक माह के अन्दर कार्यवाही की पुष्टि प्रबन्ध समिति में करा ली जाये।

g. सभी प्रबन्धकीय कोषो का संचालन प्रबन्धकद्वारा किया जायेगा।

h. प्रत्येक वर्ष का बजट, आय–व्यय का ब्यौरा, प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

i. प्राचार्य द्वारा रखे जाने वाले समस्त अभिलेखों एवं कोषों की जाँच का अधिकार प्रबन्धक को होगा।

j. अपने विवेकानुसार अधिकतम व्यय करने का अधिकार जो भी उस परिस्थितियों में आवश्यक हो , प्रतिबन्ध यह है कि वह उस व्यय को प्रबन्ध समिति के समक्ष आगामी बैठक में विचार कर पारित करने हेतु रखेगा।

k. संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों की देखभाल करना , उसमें सुधार करना, नवीन भवन का निर्माण करना, किराया प्राप्त करना, संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना, न्यायालय में विचाराधीन समस्त विधिक कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

किरनदेवी

Rishpa Karnwal

Poonam

m. विवादास्पद विषयों पर अध्यक्ष द्वारा किये गये निर्णय से असहमत होने पर विवाद को संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना।

उपसचिव/संयुक्त सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारो का प्रयोग उपसचिव द्वारा किया जा सकेगा।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

संस्था की ओर से समस्त प्रकार की राशियों को प्राप्त करने में अध्यक्ष एवं प्रबन्धक का सहयोग करना एवं समस्त आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

सहकोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष एवं प्रबन्धकद्वारा बताये गये कार्यो का निस्तारण करना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया –

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन का अधिकार साधारण सभा को होगा। ऐसे संशोधन के लिए एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति से नियमानुसार पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस आशय के लिए बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में संशोधन के प्रस्तावित उपबन्धों पर खुली चर्चा होगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा संशोधन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही पारित किया जा सकेगा। यह भी प्रतिबन्धित है कि ऐसी/इस आशय से बुलाई गई बैठक के एजेन्डा में स्पष्टतः 'संशोधन' शब्द उल्लिखित होगा और एजेन्डा के साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति संलग्न होगी।

12. संस्था का कोष

1. समिति के सभी खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखे जायेंगे।
2. समिति के सभी खातों का संचालन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से (कोई एक) के हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा। विवादित स्थिति में कार्यकारिणी द्वारा नामित व्यक्ति संचालन कर सकेगा।
3. संस्था के अन्य विधि खातो का संचालन नियमानुसार किया जायेगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आंतरिक आडिट कराया जायेगा। वार्षिक अधिवेशन में उस आडिट की सूचना साधारण सभा को देनी होगी। समिति विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर भेजे गये अंकेक्षकों को नियमानुसार सभी लेखा दिखाने के लिए वचनबद्ध होगी।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व –

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही का संचालन का समस्त उत्तरदायित्व उ0प्र0 शासन द्वारा यथास्थापित व्यवस्थानुसार होगा जिसका संस्था के प्रबन्धकद्वारा संचालन किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर (एक)
2. एजेण्डा रजिस्टर (एक)
3. कार्यवाही रजिस्टर (एक)
4. स्टॉक रजिस्टर (एक)
5. कैश बुक (1)
6. रसीद बुक (1)

Pushpa Karnwal

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही : संस्था के विघटन की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित नियमों, उपनियमों, विनियमों के अनुसार होगी।

17. अन्य विवरण :

a. संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षा संस्थानों का प्रबन्ध संस्था द्वारा गठित प्रबन्धकार्यकारिणी समिति द्वारा ही किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर ही अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की संस्तुति के उपरान्त उपप्रबन्ध– कार्यकारिणी गठित की जा सकेगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि

कोमल
Poonam
मीना अग्रवाल

b. संस्था में निष्पादित किये जाने वाले कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए एक उपनियमावली बनाई जायेगी जिससे समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को समयानुसार तुरन्त निस्तारण किया जा सकें, इसमें निर्दिष्ट नियमों का सुचारू रूप से अनुपालन करना सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कर्तव्य होगा।

c. अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी समिति के निष्क्रिय /निलंबित/भंग हो जाने की स्थिति में शासन/किसी सक्षम अधिकारी/ न्यायालय/विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रशासक/साधिकार नियंत्रक प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों में से ही नामित होगा जिसके लिए पदच्युत प्रबंधक की सहमति आवश्यक होगी।

हम अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त नियमावली से अक्षरशः सहमत हैं और इसके पूर्ण परिपालन की घोषणा करते हैं।

किरन देवी

Pushpa Karnwal

Munish Karnwal

Amit

Poonam

मीना जामखाल

कोमल

Akash Karnwal

सविता

Manoj

मीना

Praveen

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र० मुरादाबाद